

ई पत्रावली संख्या-36086

प्रेषक,

श्याम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓ प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 5 अक्टूबर 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र-
श्रीनगर के विकासखण्ड पाबौ के अन्तर्गत बी0आर0सी0 कोटली गांव तक मोटर मार्ग एवं 12
मी0 स्पांन सेतु का नवनिर्माण कार्य (द्वितीय चरण स्टेज I) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे.का., लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन, जिसमें मोटर मार्ग की लम्बाई 0.775 किमी. एवं लागत ₹28.56 लाख है, के शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹28.56 लाख (रुपये अठाईस लाख छप्पन हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु ₹0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- कार्य कराने से पूर्व आगणन में मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिह्नीकरण कर तथा इनके OGL/X-Section रिकॉर्ड कर लिये जायें तथा मक डिस्पोजल का भुगतान इन स्थलों के Final Levels के आधार पर वास्तविक डिस्पोजल की मात्रा आंकलित कर की जाये।
- प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की Debitable आधार पर अन्य एजेंसी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

SSO P(E)

18/10

Chief Engineer (Planning)
P.W.D., Dehradun
महोदय,

आम
18/10

33036

18/10

SSO(P)II

CECP/AAO

16/10/23

प्रमुख अभियन्ता
लो०नि०वि०

- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरो/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- ix. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
 - x. यदि विषयगत कार्यों को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
 - xi. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रैक्टिसरमेन्ट रूलस- 2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
 - xii. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31.03.2024 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।
 - xiii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - xiv. विषयगत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22, के अन्तर्गत संलग्न अलॉटमेण्ट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या- 4227 Chief Engineer PWD में किया जा रहा है।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं.- 22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य -03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृद्ध निर्माण (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजनित क्रमांक-I/158642/2023 दिनांक 04 अक्टूबर, 2023 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Shyam Singh

Date: 04-10-2023 18:05:39

(श्याम सिंह)

संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, पौड़ी।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, द्वादश वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)

- अधिसूचना अभियन्ता, नि.ख., लोक निर्माण विभाग, पावौ।
गार्ड फाईल।

Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

ऑफिस नं०-523100220017
दिनांक-10-06-2023

5054-महानगर पंचायत, नि.ख., लोक निर्माण विभाग, पावौ।
337-महानगर पंचायत, नि.ख., लोक निर्माण विभाग, पावौ।
02-महानगर पंचायत, नि.ख., लोक निर्माण विभाग, पावौ।
000-02-020-महानगर पंचायत, नि.ख., लोक निर्माण विभाग, पावौ।

S	0	5	4	0	4	3	2	1	0	3	0	2
मानक शब्द का नाम	पूर्व में जारी	महानगर पंचायत, नि.ख., लोक निर्माण विभाग, पावौ।	अब जारी किए गए	योग								
53-महानगर पंचायत, नि.ख., लोक निर्माण विभाग, पावौ।	5730000	10000	0	5740000								
योग	5730000	10000	0	5740000								

Voted

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.10,000 (Rupees Ten Thousand Only)

Approval Status: APPROVED BY OFFICER



आचार्य के प्रमुख जैनिक-एवं विभागध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग,
1. योजना-1 उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

वेबसाइट: www.nic.in/pwd

E-mail: ecpward@nic.in



संज्ञक- 10/20 वाराणसी नगर-1/2023

दिनांक- 10.2023

प्रतिष्ठित- निम्नलिखित में सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही से प्रेषित-

1. महानगर पंचायत, नि.ख., लोक निर्माण विभाग, पावौ।
2. महानगर पंचायत, नि.ख., लोक निर्माण विभाग, पावौ।
3. महानगर पंचायत, नि.ख., लोक निर्माण विभाग, पावौ।
4. महानगर पंचायत, नि.ख., लोक निर्माण विभाग, पावौ।
5. महानगर पंचायत, नि.ख., लोक निर्माण विभाग, पावौ।
6. महानगर पंचायत, नि.ख., लोक निर्माण विभाग, पावौ।
7. महानगर पंचायत, नि.ख., लोक निर्माण विभाग, पावौ।
8. महानगर पंचायत, नि.ख., लोक निर्माण विभाग, पावौ।
9. महानगर पंचायत, नि.ख., लोक निर्माण विभाग, पावौ।
10. महानगर पंचायत, नि.ख., लोक निर्माण विभाग, पावौ।

10



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/158915/2023

अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S23100220017

आवंटन पत्र दिनांक-10-OCT-2023

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत
परिव्यय

04-जिला तथा अन्य सड़के

337-सड़क निर्माण कार्य

03-राज्य सेक्टर

02-नया निर्माण कार्य (5054-04-

Voted

800-03-02से स्थानान्तरित)

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम					पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग				
53-वृहद निर्माण					5730000	10000	0	5740000				
योग					5730000	10000	0	5740000				

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.10,000 (Rupees Ten Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
 "नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: eicpwduk@nic.in

phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431



पत्रांक- 1210 /20 याता0'क'नियो0-1/2023

दिनांक- 20.10.2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
- अधीक्षण अभियन्ता 12 वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
- अधिशाली अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पाबौ।
- अधिशाली अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी
 कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
 लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
 देहरादून